न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2070–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 43/2012–13/अपील.

जवरसिंह पिता कालू सिंगाड़
निवासी ग्राम काना कुंआ
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.....आवेदक

विरूद्ध

1– मुन्नालाल उर्फ मुनेश सिंह पिता भुरजी सिंगाड़
2– पप्पु पिता कालूजी गामड़
निवासीगण ग्राम बोलासा
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
3– अनसिंह पिता मकाना गणावा
निवासी ग्राम काना कुंआ
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.....अनावेदकगण

श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री अरूण मानकर, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, झाबुआ द्वारा कार्यालयीन आदेश कमांक 3046–97/भू–अभिलेख/रा.नि.का./2011 दिनांक 17–10–2011 से ग्राम बोलासा में कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आदेशित किया गया । कलेक्टर के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार, उप तहसील सारंगी द्वारा प्रकरण कमांक 23/अ–56/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 13–2–2012 को आदेश

पारित कर आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 मुन्ना लाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–8–2012 को आदेश पारित कर अपील खारिज की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–4–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से विज्ञप्ति का प्रकाशन कर ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा गया, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा कोटवार पद के उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों पर विचार उपरांत आवेदक को सर्वाधिक पात्र होने से कोटवार पद पर नियुक्त किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि अनुकूल पाते हुए स्थिर रखा गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि केवल ग्राम बोलासा के निवासी ही कोटवार पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक का ग्राम भी ग्राम पंचायत बोलासा के अन्तर्गत ही आता है, इसलिए वह कोटवार पद के लिए पात्र है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त आवेदक, अनावेदक कमांक 1 से अधिक शिक्षित है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कोटवार पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को अग्र मान्यता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा ग्राम बोलासा में रिक्त कोटवार पद पर नियुक्ति किए जाने के आदेश दिये गये हैं, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक, जो कि अन्यत्र ग्राम का निवासी है, को कोटवार पद पर नियुक्त करने में अवैधानिकता की गई

है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय को ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के बिना कोटवार पद पर नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर पुनः विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त कर कोटवार की नियुक्ति किए जाने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोटवार की नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में ठहराव प्रस्ताव पारित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, और नायब तहसीलदार द्वारा बिना ठहराव प्रस्ताव के ही कोटवार पद पर नियुक्ति की गई है । संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने कोटवारी नियमों के नियम 4 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरांत कोटवार पद पर नियुक्ति करेगा । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा कोटवार की नियुक्ति करने में संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने कोटवारी नियमों के नियम 4 (1) का पालन नहीं किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक जवरसिंह को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि ग्राम बोलासा का निवासी नहीं है, जबकि सामान्यतः कोटवार पद पर उसी ग्राम के निवासी की कोटवार पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए, जिस ग्राम के लिए कोटवार का पद रिक्त है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त करने संबंधी पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में तो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु या तो अपर आयुक्त को स्वयं कार्यवाही कर कोटवार पद पर नियुक्ति करना चाहिए थी अथवा प्रकरण

तहसील न्यायालय को कोटवार की नियुक्ति हेतु भेजना चाहिए था । अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2013, अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 28–8–2012 एवं नायब तहसीलदार, उप तहसील सारंगी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–2–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह नये सिरे से कोटवार पद के लिए उद्घोषणा का प्रकाशन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करें, और संहिता की धारा 230 के अंतर्गत बने कोटवारी नियमों के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही कर कोटवार पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर